

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

No.F 11(09)/LJ&LA/Admn/19/

1378-1379

Dated :

22/2/19

To

The Deputy Secretary,  
Question Branch,  
Vidhan Sabha Secretariat,  
Old Secretariat,  
Delhi.

Sub: Vidhan Sabha Starred Question No.13 raised by Sh. Manoj Kumar, MLA  
due on 25.02.2019

Sir,

With reference to your letter No. एफ.11(बी-1)VI/2015-20/वि.स.स./प्रश्न  
शा/1246 दिनांक 15.02.2019 on the above cited subject, I am directed to forward  
herewith reply (100 copies) of Vidhan Sabha Starred Question No.13 raised by  
Sh. Manoj Kumar, MLA due for 25.02.2019 along with PDF file for further  
necessary action at your end. The PDF file has been emailed at  
[questionbranchlas@gmail.com](mailto:questionbranchlas@gmail.com) also.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (Law)

Yours faithfully,

Encl: As above.



(RAMESH KUMAR)  
DEPUTY SECRETARY(ADMN)

Copy to:- OSD to Hon'ble Minister (Law).



विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
8वा तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली- 110002


तारांकित प्रश्न संख्या -13

दिनांक: 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मनोज कुमार, विधायक

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	वादियों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान में हो रही देरी को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से सम्बंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।
ख)	क्या वादियों को एसएमएस द्वारा उनके मुकदमों की सुनवाई की तिथि की अग्रिम जानकारी देने का कोई प्रस्ताव है;	वर्तमान में जिन वादों में सम्बंधित पक्षों के मोबाइल नंबर जिला न्यायालय के कंप्यूटर सर्वर पर अधतन किये गए हैं. उन पक्षों को उनके मुकदमों की सुनवाई की तिथि की अग्रिम जानकारी एस. एम. एस. द्वारा सी. आई. एस. सॉफ्टवेर की सुविधा से उनके मोबाइल नंबर पर प्रेषित की जा रही है. (यह सूचना कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय से प्राप्त की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से सम्बंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।)
ग)	यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; और	.फाइलिंग नंबर, तिथि व वादी तथा प्रतिवादी का विवरण पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाता है. .मोबाइल एस. एम. एस. कंप्यूटर सर्वर द्वारा किए जाते हैं. .यह सुविधा मुफ्त में प्रदान की जा रही है. (यह सूचना कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय से प्राप्त की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से सम्बंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।)
घ)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?	जिन वादियों ने अपने मोबाइल नंबर अधतनीकरण हेतु नहीं दिए हैं, उनको एस. एम. एस. द्वारा जानकारी प्रेषित करना संभव नहीं है. (यह सूचना कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय से प्राप्त की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से सम्बंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।)

  
(रमेश कुमार)  
उप सचिव (प्रशासन)